

कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छत्तीसगढ़)



क्र. ११०/एम.आई.सी. सचिव/न.पा.नि./2018
प्रति,

रायगढ़, दिनांक २४.३.२०१८

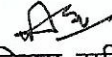
संयुक्त सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग,
नया मंत्रालय, महानदी भवन,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- नगर पालिक निगम रायगढ़ के परिषद के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 27/03/2018 के कार्यवाही विवरण की जानकारी के संबंध में।

—000—

उपरोक्त विषयांतर्गत नगर पालिक निगम अधिनियम की धारा 53 (5) अनुसार नगर पालिक निगम रायगढ़ के परिषद के विशेष सम्मिलन की बैठक दिनांक 27/03/2018 के प्रस्ताव एवं संकल्प की एक प्रति संलग्न कर आपकी ओर प्रेषित है।

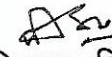
संलग्न :- उपरोक्तानुसार।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ.क्र. ११०/एम.आई.सी.सचिव/न.पा.नि./2018
प्रतिलिपि :-

रायगढ़, दिनांक २४.३.२०१८

1. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
2. कलेक्टर, रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
3. संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर की ओर सूचनार्थ।
4. महापौर/सभापति/नेता प्रतिपक्ष, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ।
6. एम.आई.सी. प्रभारी श्री/श्रीमती/सुश्री की ओर सूचनार्थ।
- ✓ 7. डाटा सेंटर प्रभारी, नगर पालिक निगम रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं नगर पालिक निगम रायगढ़ के वेबसाईट में प्रविष्टि हेतु पालनार्थ।
8. जावक लिपिक, नगर पालिक निगम रायगढ़ एक प्रति सूचनार्थ बोर्ड में चस्पा हेतु पालनार्थ।


निगम सचिव
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

परिशिष्ट

(प्रारूप क देखिये)

नगर पालिक निगम रायगढ़/परिषद् के सम्मिलन दिनांक 27.03.2018 (समय) 11:30 बजे पूर्वान्ह में विचारण के लिये सम्मिलित विषयों की सूची :-

स.क्र.	विषय																																
(क)	पूर्ववर्ती सम्मिलन के कार्यवृत्त की पुष्टि करना, यदि उसकी पुष्टि उस सम्मिलन में न हुई हो, :- निरंक																																
(ख)	पार्षदों द्वारा पुछे गये प्रश्न तथा उनके उत्तर, :- निरंक																																
(ग)	महत्वपूर्ण पत्र व्यवहार के संबंध में जानकारी, :- निरंक																																
(घ)	कार्यसूची के शेष कामकाज जो पूर्ववर्ती सम्मिलन में संपादित न किये जा सके हों, :- निरंक																																
(ङ.)	समितियों या आयुक्त द्वारा प्रस्तुत सुझाव तथा प्रस्ताव, :-																																
01	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 13.03.2018 के प्रस्ताव क्रमांक 01 :- पुनरीक्षित बजट वर्ष 2017-18 एवं अनुमानित बजट वर्ष 2018-19 स्वीकृति हेतु विचारार्थ प्रस्तुत । में लिये गये निर्णय अनुसार - प्रकरण प्रस्तुत हुआ। वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित एवं अनुमानित वर्ष 2018-19 का निम्नानुसार बजट की अनुशंसा की जाती है। परिषद् सम्मिलन में रखा जावे। <table><tr><th>क्रमांक</th><th>मद</th><th>वर्ष 2017-18 की पुनरीक्षित बजट</th><th>वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान</th></tr><tr><td>1</td><td>राजस्व आय</td><td>5,251.75</td><td>8,213.00</td></tr><tr><td>2</td><td>पूंजीगत आय</td><td>1,633.33</td><td>21,950.00</td></tr><tr><td>3</td><td>कुल आय (1+2)</td><td>6,885.08</td><td>30,163.00</td></tr><tr><td>4</td><td>राजस्व व्यय</td><td>2,974.08</td><td>7,815.50</td></tr><tr><td>5</td><td>पूंजीगत व्यय</td><td>1,196.60</td><td>21,833.50</td></tr><tr><td>6</td><td>कुल व्यय, (4+5)</td><td>4,170.68</td><td>29,649.00</td></tr><tr><td>7</td><td>शेष (3-6)</td><td>2,714.40</td><td>514.00</td></tr></table> तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।	क्रमांक	मद	वर्ष 2017-18 की पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान	1	राजस्व आय	5,251.75	8,213.00	2	पूंजीगत आय	1,633.33	21,950.00	3	कुल आय (1+2)	6,885.08	30,163.00	4	राजस्व व्यय	2,974.08	7,815.50	5	पूंजीगत व्यय	1,196.60	21,833.50	6	कुल व्यय, (4+5)	4,170.68	29,649.00	7	शेष (3-6)	2,714.40	514.00
क्रमांक	मद	वर्ष 2017-18 की पुनरीक्षित बजट	वर्ष 2018-19 का बजट अनुमान																														
1	राजस्व आय	5,251.75	8,213.00																														
2	पूंजीगत आय	1,633.33	21,950.00																														
3	कुल आय (1+2)	6,885.08	30,163.00																														
4	राजस्व व्यय	2,974.08	7,815.50																														
5	पूंजीगत व्यय	1,196.60	21,833.50																														
6	कुल व्यय, (4+5)	4,170.68	29,649.00																														
7	शेष (3-6)	2,714.40	514.00																														
प्रस्ताव क्र. 01 का निर्णय	सामान्य प्रशासन प्रभारी श्री जितेषु राठौर द्वारा वर्ष 2017-18 का पुनरीक्षित आय-व्यय तथा 2018-19 का अनुमानित आय-व्यय पढ़कर सुनाया गया तथा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसमें सम्माननीय सदस्यों के द्वारा सुझाव दिये गये तदनुसार वर्ष 2018-19 का अनुमानित आय-व्यय सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।																																

स.क्र.	विषय
02	एम.आई.सी. की बैठक दिनांक 13.03.2018 के प्रस्ताव क्रमांक 02 :- वर्ष 2018-19 हेतु संपत्तिकर का निर्धारण हेतु प्रस्ताव जोन क्रमांक 01 - रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से लक्ष्मीपुर चौक, ढिमरापुर चौक उर्दना रोड़ सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड़ गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड़। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारों तरफ, बूजी भवन रोड़, सदर हटरी गुरुद्वारा रोड़, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड़ नया गंज, शहीद चौक, कैलो पुल होते हेमू कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड़, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड़ मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक। गद्दी चौक से पैलेस रोड़ हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड़ मुंशी गली गांजा चौक। बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुड़ी चौक घड़ी चौक थाना रोड़ थाना के चारों तरफ किरोड़ीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड़ हंडी चौक, गौशाला रोड़ चारों तरफ। सत्तीगुड़ी चौक से कामर्स कॉलेज रोड़ होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड़ से निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन। जोन क्रमांक 02- बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। चॉदनी चौक, सोनार पारा रोड़ सर्किट हाउस तक। हेमू कॉलाणी चौक से बेलादुला रोड़ सर्किट हाउस से उर्दना रोड़। शहीद चौक से जूना बड़पारा, चॉदनी चौक होते बस स्टैंड, जंजघर रोड़ कोष्टापारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से बैकुण्ठपुर रोड़ होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड़ सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड़ बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा होते हुये सहदेवपाली निगम सीमा तक। गोगा राईस मील से मिठठूमुड़ा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड़ से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड़ टी.वी. टॉवर रोड़ पहाड़ मंदिर रोड़, चक्रधर नगर से कसेरपारा तक बोईरदादर चौक से विजयपुर निगम सीमा तक। जोगीडीपा पुल से इंदिरानगर होते रामपुर रोड़ तक। गौशाला चौक से बैकुण्ठपुर रामभाठा डिपो रोड़ होते ढिमरापुर रोड़ तक। डिग्री कॉलेज से टी.वी.टॉवर रोड़ होते नगर निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमंजिला (फ्लेट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन। जोन क्रमांक 03- जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हैं जोन क्रमांक 04- जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हैं

स.क्र.	विषय						
	संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट						
	जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
		आवासीय			व्यवसायिक		
		पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का			
	01	17.00	9.00	15.00	19.00	11.00	15.00
	02	15.00	7.00	13.00	17.00	9.00	12.00
	03	7.00	3.00	6.00	9.00	5.00	7.00
	04	5.00	2.00	4.00	7.00	3.00	5.00
	05	निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर — भूमि 25.00 प्रति वर्गफीट, निर्मित भवन 40.00 प्रति वर्गफीट					
	वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-						
1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6001 /- से 20,000 /- तक — 6 प्रतिशत							
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य 20,001 /- से 50,000 /- तक — 8 प्रतिशत							
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य 50,001 /- से 80,000 /- तक — 10 प्रतिशत							
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य 80,001 /- से 1,00,000 /- तक — 12 प्रतिशत							
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,00,001 /- से 1,20,000 /- तक — 15 प्रतिशत							
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य 1,20,001 /- से 2,00,000 /- तक — 18 प्रतिशत							
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य 2,00,001 /- से अधिक — 20 प्रतिशत							
(च)	शिक्षा उपकर :- प्रत्येक भूमि/भवनों का निर्धारण पश्चात संपत्तिकर की राशि में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा। समेकित कर :- 1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से उपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा। 2. शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा। संपत्तिकर में छूट :- - न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट। - भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट। - नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट। - ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो तथा भवनों से संलग्न रिक्त भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना के प्रयोजन से मुक्त होगी। - EWS मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी, समेकित कर अन्य कर देय होगा। 500 वर्गफीट तक के कच्चा मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी समेकित कर अन्य कर देय होगा। - धारा 137 के तहत वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2018 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2018 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छूट के 31 मार्च 2019 तक देय होगा। 31 मार्च पश्चात सरचार्ज वार्षिक 6 प्रतिशत तथा की दर से देय होगा।						

स.क्र.	विषय
	8. चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तिकरदाता भवन स्वामी को एक हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की जावेगी। क्रमांक 02-भवन नामांतरण शुल्क :- वर्तमान शुल्क-500/- रु. प्रस्तावित-2000/-रु. क्रमांक 03-दुकान किराया :- वर्तमान वार्षिक 12 प्रतिशत, प्रस्तावित मासिक एवं वार्षिक 12 प्रतिशत क्रमांक 04-विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क :- स्वयं के निजी भवन / भूमि पर लगे होर्डिंग बोर्ड प्रतिवर्गफीट वर्तमान 25/- प्रस्तावित - 45/- अतः उपरोक्तानुसार स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रस्तुत। में लिये गये निर्णय अनुसार :- प्रकरण प्रस्तुत हुआ कार्यलयीन प्रतिवेदन अनुसार अनुशंसा सहित प्रस्ताव परिषद में रखा जावे। तदनुसार प्रस्ताव प्रस्तुत है।

✓

निर्णय क्रमांक 02 :- वर्ष 2018-19 हेतु संपत्तिकर के संबंध में प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया सदन में चर्चा उपरांत सम्मानीय सदस्यों के द्वारा संपत्तिकर के जोन, स्लेब एवं भाड़ा मूल्य की दर में सुधार हेतु सुझाव दिए गए जिसमें उचित सुझाव को स्वीकार कर सुधार के साथ प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया जो निम्नानुसार है:-

जोन क्रमांक 01- रेल्वे फाटक से सुभाष चौक, हटरी चौक से मुरारी होटल होते हुये लक्ष्मीपुर चौक, ढिमरापुर चौक उर्दना रोड सीमा तक। रेल्वे स्टेशन से रानी बसंतमाला चौक, स्टेशन रोड गांधी गंज, गांधी प्रतिमा से रामनिवास टॉकीज चौक मालधक्का रोड। गांधी प्रतिमा से श्याम टॉकीज के चारो तरफ, बूजी भवन रोड, सदर हटरी गुरुद्वारा रोड, नई सड़क। रामनिवास चौक से गोपी टॉकीज रोड नया गंज, शहीद चौक, कैलो पुल होते हेमू कॉलोनी चौक चक्रधर नगर चौक एवं सरला विरला से दुर्गा चौक से बोईरदादर चौक। श्रृंगार होटल से गौरीशंकर मंदिर रोड, न्यू मार्केट आग्रोहा भवन रोड मोड़ा कॉलोनी से गोदरी चौक। गद्दी चौक से पैलेस रोड हटरी चौक से पुराना सदर बाजार रोड मुंशी गली गांजा चौक। रानी बसंतमाला चौक से सिविल लाईन सत्तीगुड़ी चौक घड़ी चौक थाना रोड थाना के चारो तरफ किरौड़ीमल कॉलोनी, घड़ी चौक से लक्ष्मीपुर चौक। गांधी प्रतिमा से महिला महाविद्यालय सड़क सेवाकुंज रोड हंडी चौक, गौशाला रोड चारो तरफ। सत्तीगुड़ी चौक से कामर्स कॉलेज रोड होते हुये बाईपास, ढिमरापुर चौक सी.एम.ओ. तिराहा भगवान पुर रोड से निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमजिला (फ्लैट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 02- बीड़पारा, सिंधी कॉलोनी कच्ची खोली, पक्की खोली। चोंदनी चौक, सोनार पारा रोड सर्किट हाउस तक। हेमू कॉलाणी चौक से कब्रिस्तान तक, सर्किट हाउस से उर्दना रोड। शहीद चौक से जूना बड़पारा, चोंदनी चौक होते बस स्टैण्ड, जंजघर रोड कोष्टापारा। एस. पी. बगला से आठले घर होते दरोगापारा सड़क, सत्तीगुड़ी चौक से बैकुण्ठपुर रोड होते हुये दशरथ पान ठेला तक। रेल्वे क्रासिंग से कबीर चौक उड़ीसा रोड सीमा तक। अटल चौक से ट्रांसपोर्ट नगर होते हुये रेल्वे क्रासिंग तक अटल चौक से उड़ीसा रोड बायपास कांशीराम चौक निगम सीमा तक। अटल चौक से छातामुड़ा रोड होते हुये सहदेवपाली रोड निगम सीमा तक। गोगा मंदिर से मिठठूमुड़ा दुर्गा चौक तक। दुर्गा चौक से ट्रांसपोर्ट नगर चौक तथा दुर्गा चौक से कबीर चौक तक, विश्वासगढ़ चर्च रोड से लकड़ी टाल होते हुये ट्रांसपोर्ट नगर चौक तक। चक्रधर नगर रेल्वे क्रासिंग से अतरमुड़ा रोड टी.वी. टॉवर रोड पहाड़ मंदिर रोड, चक्रधर नगर से कसेरपारा होते हुये नूतन चौक तक, बोईरदादर चौक से विजयपुर रोड निगम सीमा तक। जोगीडीपा पुल से इंदिरानगर होते रामपुर रोड तक। गौशाला चौक से बैकुण्ठपुर रामभाठा डिपो रोड होते पुल तक। डिग्री कॉलेज से टी.वी.टॉवर रोड होते नगर निगम सीमा तक। जोन क्षेत्र सीमा क्षेत्र में स्थित तथा उससे लगने वाले सड़कों पर स्थित समस्त आवासीय कालोनियों, बहुमजिला (फ्लैट) तथा शॉपिंग काम्पलेक्स भवन।

जोन क्रमांक 03- जोन क्रमांक 01 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 01 के सड़कों से मिलते हों

जोन क्रमांक 04- जोन क्रमांक 02 से हटकर ऐसे मार्ग जो जोन क्रमांक 02 के सड़कों से मिलते हों

संपत्तिकर निर्धारण हेतु दर प्रति वर्गफीट

जोन क्रमांक	निर्मित भवन का दर प्रति वर्गफीट				भूमि का दर प्रति वर्गफीट	
	आवासीय			व्यवसायिक		
	पक्का	कच्चा	आंशिक पक्का	पक्का	आवासीय	व्यवसायिक
01	16.00	9.00	14.00	19.00	11.00	15.00
02	14.00	7.00	12.00	17.00	9.00	12.00
03	7.00	3.00	6.00	9.00	5.00	7.00
04	5.00	2.00	4.00	7.00	3.00	5.00
05	निगम सीमा के अंदर समस्त औद्योगिक भूमि एवं भवन का दर -- भूमि 25.00 प्रति वर्गफीट, निर्मित भवन 40.00 प्रति वर्गफीट					

वार्षिक भाड़ा मूल्य पर कर की दर का निर्धारण :-

1. वार्षिक भाड़ा मूल्य	6001 /- से 20,000 /- तक	-	6 प्रतिशत
2. वार्षिक भाड़ा मूल्य	20,001 /- से 50,000 /- तक	-	8 प्रतिशत
3. वार्षिक भाड़ा मूल्य	50,001 /- से 80,000 /- तक	-	10 प्रतिशत
4. वार्षिक भाड़ा मूल्य	80,001 /- से 1,00,000 /- तक	-	12 प्रतिशत
5. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,00,001 /- से 1,50,000 /- तक	-	15 प्रतिशत
6. वार्षिक भाड़ा मूल्य	1,50,001 /- से 2,00,000 /- तक	-	18 प्रतिशत
7. वार्षिक भाड़ा मूल्य	2,00,001 /- से अधिक	-	20 प्रतिशत

शिक्षा उपकर :- प्रत्येक भूमि/भवनों का निर्धारण पश्चात संपत्तिकर की राशि में 5 प्रतिशत की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।

समेकित कर :- 1. वार्षिक भाड़ा मूल्य 6000 रु. तक 300.00 रु. 6001 से उपर 600.00 रु. की दर से संपत्तिकर के साथ देय होगा।
2. शासकीय आवासीय भवन तथा ट्रस्ट (सार्वजनिक उपक्रमों के संपत्ति) पर जो संपत्तिकर से मुक्त है ऐसी भवनों पर समेकित कर 600.00 रु. प्रतिवर्ष उपभोगकर्ता द्वारा देय होगा।

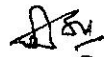
संपत्तिकर में छूट :-

1. न.पा.नि. अधिनियम 1956 की धारा 136 के अंतर्गत प्रदत्त छूट।
2. भवन के रखरखाव हेतु वार्षिक भाड़ा मूल्य में 10 प्रतिशत की छूट।
3. नया भवन निर्माण अनुमति दिनांक से 01 वर्ष तक संपत्तिकर से छूट।
4. ऐसी भूमि जिस पर कृषि हो रही हो तथा भवनों से संलग्न रिक्त भूमि (मार्जिनल ओपन स्पेस) वार्षिक भाड़ा मूल्य के गणना के प्रयोजन से मुक्त होगी।
5. EWS मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी, समेकित कर एवं अन्य कर देय होगा।
6. 500 वर्गफीट तक के कच्चा मकान संपत्तिकर से मुक्त रहेगी समेकित कर अन्य कर देय होगा।
7. धारा 137 के तहत वर्ष 2018-19 का संपत्तिकर 31 जुलाई 2018 तक जमा करने पर 6 प्रतिशत छूट, 31 अक्टूबर 2018 तक जमा करने पर 4 प्रतिशत छूट करदाताओं को मिलेगी। बिना छूट के 31 मार्च 2019 तक देय होगा। 31 मार्च पश्चात सरचार्ज वार्षिक 6 प्रतिशत की दर से देय होगा।
8. चालू वित्तीय वर्ष समाप्ति तक स्व-निर्धारण पत्रक प्रस्तुत नहीं करने पर संपत्तिकरदाता भवन स्वामी को एक हजार रुपये शास्ति अधिरोपित की जावेगी।

क्रमांक 02. भवन नामांतरण शुल्क:- प्रति 2000/-रु. एवं विधवा महिला अथवा पुत्र हेतु - 1000/- रु.

क्रमांक 03. दुकान किराया सरचार्ज:- मासिक किराया का 12 प्रतिशत माह के अंत में,

क्रमांक 04. विज्ञापन प्रदर्शन शुल्क:- स्वयं के निजी भवन/भूमि पर लगे होर्डिंग बोर्ड 45/-प्रति वर्गफीट


निगम सचिव
नगरपालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)


सभापति 
नगरपालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)